भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †5140
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

तिरुपति में पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

†5140. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए तिरुपति में उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ग) उक्त क्षेत्र में पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए शुरू की गई/प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं;
(घ) क्या तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई विशिष्ट चुनौतियां हैं और यदि हां, तो उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा होने की समय-सीमा क्या है तथा उक्त क्षेत्र में उक्त योजना का दायरा बढ़ाने की भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं और तिरुपति सहित राज्य के सभी 26 जिलों में डीएमएफ की स्थापना की गई है। डीएमएफ तिरुपति की स्थापना 1 अगस्त 2022 को की गई थी। जनवरी 2025 तक, डीएमएफटी तिरुपति के तहत 148 परियोजनाओं के लिए 24.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जिनमें से कुल 66 परियोजनाएं पूरी की गई हैं तथा

खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए 4.39 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) से (ड.) डीएमएफटी तिरुपति के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में जनवरी 2025 तक शुरू की गई परियोजना का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसके अलावा, तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमकेकेकेवाई को लागू करने में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किन्हीं विशिष्ट चुनौतियों की सूचना नहीं दी गई है। परियोजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने और डीएमएफ के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2024 में संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को अपने राज्य डीएमएफ नियमों में इसे शामिल करने का निर्देश दिया गया।

*****

अनुलग्नक-I

स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	आबंटित राशि (करोड़ में)	व्यय की गई राशि (करोड़ में)
1	स्वास्थ्य देखभाल	1	-	1.25	-
2	शक्षा	28	16	8.90	1.92
3	वास्तवक अवसंरचना	32	14	12.19	1.58
4	पर्यावरण संरक्षण	-	-	-	-